

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०१४

मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ.

(२) यह इसके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ए) में, शब्द और अंक “धारा ३७” के स्थान पर, शब्द और अंक “इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए धारा ३४, धारा ३७” स्थापित किए जाएं.

धारा ४८ का
संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५४ में, शब्द “अपने इस विश्वास के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात्” के स्थान पर, शब्द “अपने इस विश्वास के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात् और ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाए” स्थापित किए जाएं.

धारा ५४ का
संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ६१ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, शब्द और अंक “धारा ३७” के स्थान पर शब्द और अंक “इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए धारा ३४, धारा ३७” स्थापित किए जाएं.

धारा ६१ का
संशोधन.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) की धारा ४८ में, अधिनियम की धारा ३७, ३८, ३८-ए तथा ३९ के कतिपय अपराध शमनीय हैं. यह प्रस्तावित है कि अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या पास की किन्हीं शर्तों के उल्लंघन को धारा ३४ के अधीन शमनीय बनाया जाए. अतएव मूल अधिनियम की धारा ४८ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. मूल अधिनियम की धारा ५४ में यह उपबंध है कि जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि अधिनियम के अधीन कतिपय अपराध किए गए हैं या किए जा रहे हैं या जिनका किया जाना संभाव्य है, तो आबकारी अधिकारी अपने विश्वास के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् किसी भी स्थान की वारंट के बिना तलाशी ले सकेगा. तलाशी लेने की इस शक्ति का प्रायः अविवेकपूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है. अतएव धारा ५४ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

३. मूल अधिनियम की धारा ६१ में यह उपबंध है कि न्यायालय, कलक्टर या आबकारी अधिकारी के परिवाद या रिपोर्ट पर कतिपय अपराधों के लिए संज्ञान लेगा. धारा ६१ को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या पास की किसी शर्त के उल्लंघन में किसी अनुज्ञप्तिधारी या संबंधित व्यक्ति को कलक्टर या आबकारी अधिकारी के परिवाद या रिपोर्ट के बिना अभियोजित न किया जा सके.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख २७ जून, २०१४.

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक २०१४ के खण्ड ३ द्वारा वारण्ट के बिना तलाशी लेने संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु शर्तें विहित किए जाने विषयक नियम बनाने की शक्तियां राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जो सामान्य स्वरूप की होंगी.

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) से उद्धरण.

* * * * *

धारा ४८ :—अपराधों का शमन करने और शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति—

(१) आबकारी आयुक्त या कलेक्टर—

- (क) किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास धारा ३१ के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन रद्द किए जाने या निलंबित किए जाने के दायित्वाधीन है, या जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास है कि उसने धारा ३७, धारा ३८, धारा ३८-ए (उन मामलों के सिवाए जिनमें कि किसी मादक द्रव्य में किन्ही अपायकर औषधियों का अपमिश्रण किया जाना अन्तर्वर्लित है) या धारा ३९ के अधीन कोई अपराध किया है, यथास्थिति, ऐसे रद्दकरण या निलंबन के बदले में या ऐसे अपराध के शमन के रूप में दस हजार रुपए से अनधिक धनराशि प्रतिग्रहित कर सकेगा, या शास्ति के रूप में दस हजार रुपए से अनधिक धनराशि अधिरोपित कर सकेगा, और दोनों में से किसी भी मामले में, उन वस्तुओं के, जो अभिग्रहित की गई है, अधिहरण किए जाने का आदेश दे सकेगा; और

* * * * *

धारा ५४ :—वारण्ट के बिना तलाशी लेने की शक्ति—

जब कभी किसी भी ऐसे आबकारी आफिसर के पास, जो ऐसे पद से निम्न पद का न हो जिस कि राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा विहित करे, यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा ३४, धारा ३५, धारा ३६, धारा ३६-क, धारा ३६-ख, धारा ३६-ग, ३७, ३८, ३८-क, ३९ या धारा ४० के अधीन अपराध किया गया है, किया जा रहा है या उसके किये जाने की सम्भावना है, और यह कि ऐसा तलाशी-वारण्ट, अपराधी को निकल भागने या अपराध का साक्ष्य छिपाने का अवसर दिये बिना, अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वह अपने विश्वास के अधारों को अभिलिखित करने के पश्चात्—

- (क) दिन या रात में किसी भी समय, किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उनकी तलाशी ले सकेगा और उसमें प्राप्त किसी भी वस्तु का, जिसके कि संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन है, अभिग्रहण कर सकेगा, और
- (ख) ऐसे स्थान में पाये गये किसी भी व्यक्ति को, जिसके कि संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह यथापूर्वोक्त ऐसे अपराध का दोषी है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा और यदि वह उचित समझे तो उसे गिरफ्तार कर सकेगा.

* * * * *

धारा ६१ :—अभियोजन के लिए परिसीमा—

(१) कोई भी न्यायालय—

- (क) धारा ३७, धारा ३८, धारा ३८-ए, धारा ३९ के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, कलेक्टर के या जिला आबकारी अधिकारी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी ऐसे आबकारी अधिकारी के, जिसे कलेक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए,

* * * * *

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा.